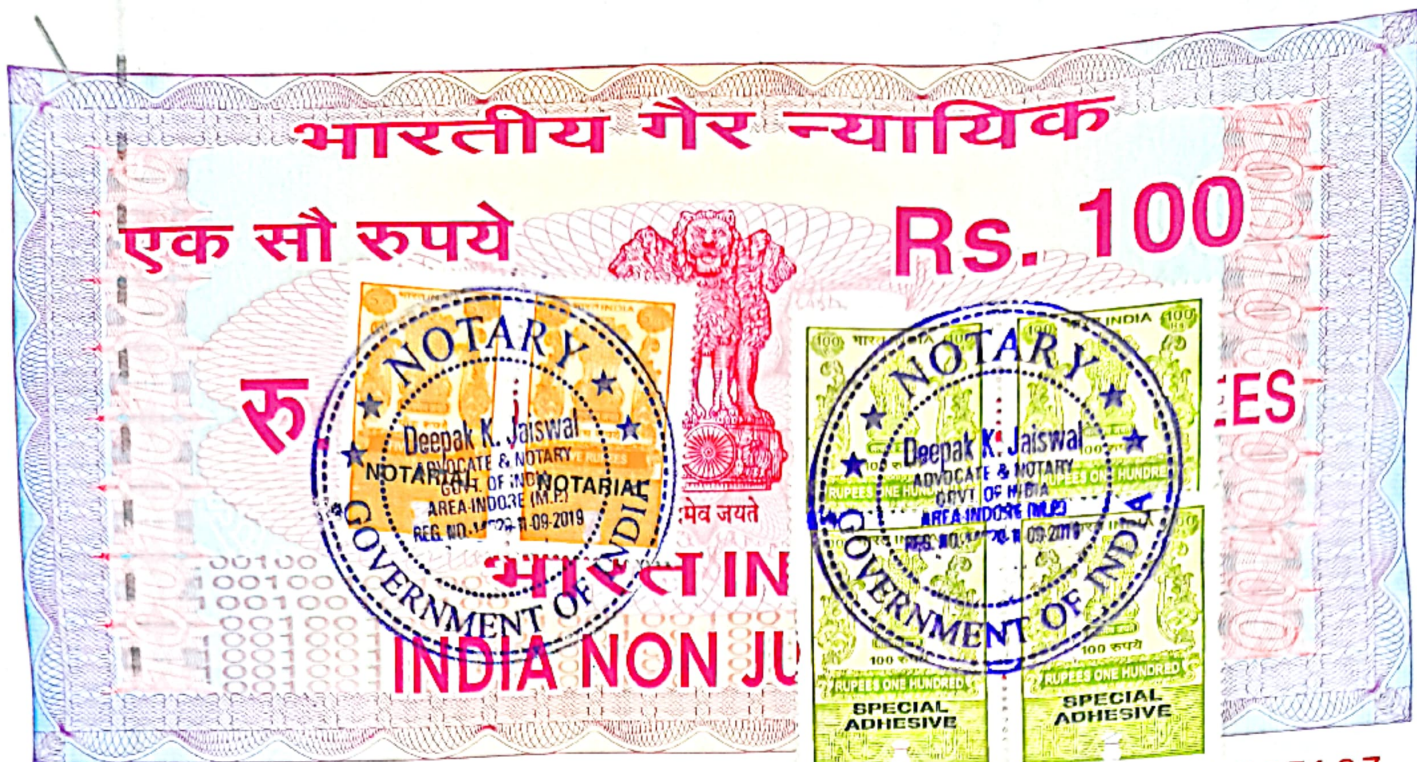




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

!! किरायेदारी का अनुबंध लेख !!

Nexofab industries limited

तर्फे घनश्याम पस्टारिया पिता चम्पालाल पस्टारिया

निवासी- मकान नंबर सीएचडी 653दिन दयाल उपाध्याय नगर इन्दौर म.प्र.

आधार 8082 3387 9473

----- प्रथमपक्ष किरायेदार

अनंद श्रीवास्तव पिता चंद्र मोहन श्रीवास्तव

निवासी- मकान नंबर सीएचडी 653दिन दयाल उपाध्याय नगर इन्दौर म.प्र.

आधार 5818 0690 4232

----- द्वितीयपक्ष लीजधारक

प्रथमपक्ष - द्वितीयपक्ष के हित में यह किरायेदारी अनुबंध लेख निम्नानुसार लिख देते हैं, कि

यह कि, द्वितीयपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ऑफिस शहर इन्दौर के मकान नंबर सीएच 73, सुखलिया एम आर 10 मेन रोड इन्दौर म.प्र. के तल मंजिल पर स्थित है। सदर ऑफिस का साईज 400 वर्गफीट है। उक्त ऑफिस आर.सी.सी की निर्मित है जिसमें 'दरवाजा' लगा हुआ है। यह कि उक्त ऑफिस प्रथमपक्ष ने आप द्वितीयपक्ष से व्यवसायिक उपयोग हेतु किराये पर लिया है :-

अविरत2 पर

DEEPAK KAILASH JAISWAL
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

Ghanshyam

689

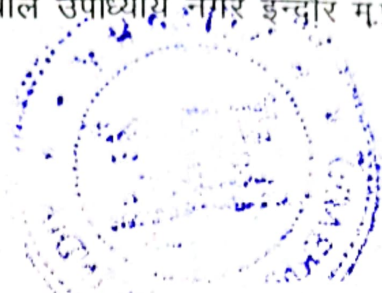
3 AUG 2028

Nexofab industries limited

तर्फे घनश्याम परस्टारिया पिता चम्पालाल परस्टारिया

निवासी- मकान नंबर सीएचडी 653 दिन दयाल उपाध्याय नगर इन्दौर म.प्र.

आधार 8082 3387 9473



3 AUG 2028
BHARAT CHOUKSE
STAMP VENDER
110, KARAS DEV NAGAR
INDORE (M.P.)
MOB. 9893489136



1. यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदार ने उपरोक्त आफिस आप द्वितीयपक्ष से रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से किराये पर प्राप्त किया है। उक्त किरायेदारी वाले स्थान को प्रथमपक्ष किरायेदार ने दिनांक 01/07 /2026 से किराये पर प्राप्त किया है एवं इस लेख के आधार पर किरायेदारी उक्त दिनांक से अगले 11 माह के लिये रहेगी।
2. यह कि, उक्त किरायेदारी वाले स्थान में प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष का एक माह का रनिंग किराया 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार रुपये मात्र) नगद व सिव्युरिटी डिपोजिट राशि 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार रुपये मात्र) ऑन लाईन के माध्यम से अदा करे उक्त डिपोजिट राशि प्रथमपक्ष उक्त स्थान को जब भी खाली करेगे उस समय द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष किरायेदार को बिना ब्याज के वापस लौटाई जावेगी।
3. यह कि आज दिनांक 24/07 /2026 के पश्चात कंपनी द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यवसाय, लेन-देन, अनुबंध, देनदारियों, ऋण, वैधानिक अनुपालन, जीएसटी, आयकर, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, श्रम कानूनों, किसी भी शासकीय देयता, कर, शुल्क, ब्याज, दण्ड अथवा अन्य किसी भी वित्तीय, सिविल अथवा वैधानिक दायित्व के लिए पूर्व रूप से किरायेदार कि रहेगी इन सब में ऑफिस मालिक का कोई लेना देना नहीं रहेगा।
4. यह कि, प्रथमपक्ष उक्त संपत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ करेंगे। यदि प्रथमपक्ष ने ऐसा कोई कार्य किया, जिससे उक्त संपत्ति को कोई क्षति पहुंची, तो उससे होने वाली नुकसान की सारी ज़वाबदारी प्रथमपक्ष किरायेदार की रहेगी यदि प्रथमपक्ष को उक्त संपत्ति में कोई परिवर्तन करना आवेक हुआ तो उसकी सहमति द्वितीयपक्ष फ्लेट मालिक से लेखी में प्राप्त करेंगे।
5. यह कि, यदि प्रथमपक्ष को सदर संपत्ति की आवश्यकता हुई अथवा प्रथमपक्ष ने सदर संपत्ति अंतरित कर दी तो वे द्वितीयपक्ष को दो माह पूर्व लेखी सूचना पत्र द्वारा सदर संपत्ति खाली करने बाबद सूचित करेंगे तथा प्रथमपक्ष उक्त समयावधि में सदर संपत्ति खाली कर उसका रिक्त कब्जा द्वितीयपक्ष को सौंप देवेंगे। इसी प्रकार प्रथमपक्ष को सदर संपत्ति खाली करना हुई तो वे भी द्वितीयपक्ष को दो माह पूर्व लेखी में सूचना पत्र देकर सदर संपत्ति खाली कर देवेंगे, अन्यथा की दशा में विलंबित अबधि की किराया राशि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को देने हेतु बाध्य रहेंगे।
6. यह कि, उक्त किरायेदारी वाले स्थान में बिजली का व्यय प्रतिमाह नियमित रूप से किरायेदार प्रथमपक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। 10/-रु युनिट
7. यह कि, सदर स्थान को मैं किरायेदार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को पार्ट भाड़ेती पर किराये पर दे सकेंगे।
8. यह कि, सदर स्थान के किराये की राशि आपको हर माह की 29 से 05 तारीख के मध्य अगाऊ अदा करता जाउंगा तथा नियमित रूप से अदा करूंगा।
9. यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदारी के स्थान में कोई भी विस्फोटक सामाग्री एकत्र नहीं कर सकेंगे और न ही ऐसे किसी पदार्थ या वस्तु का संग्रह करेंगे जो कि कानूनन संग्रहित करना प्रतिबंधित हो।

Charly

//3//

10. यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किरायेदारी को इस लेख के आधार पर 11 माह पश्चात आगे बढ़ाया जायेगा एवं किरायेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
11. यह कि उक्त किरायेदारी वाले स्थान पर यदि किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार का लायसेंस व्यवसाय हेतु लिया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष किरायेदार कि रहेगी।
12. यह कि यदि किरायेदार 06 माह के पहले ऑफिस खालि करते हैं तो सिक्युरिटी डिपोजिट की राशी डुब जावेगा।
13. यह कि 30 दिन पूर्व सूचना दिये बगैर ऑफिस खाली करते हैं, तो भी सिक्युरिटी की राशी डुब जावेगा।
14. यह कि उक्त किरायेदारी में कोई विवाद होता है, तो न्यायलय क्षेत्र इंदौर रहेगा। किरायेदार कभी भी संपत्ति मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं देगा। अगर प्रथम पक्ष सूचना देने पर संपत्ति खाली नहीं करता है, तो संपत्ति मालिक को अधिकार रहेगा कि वह न्यायलय कार्यवाही कर उक्त स्थान खाली करवा सकेगा। तथा जिसमें लगने वाले समस्त खर्चों का जिम्मेदार प्रथम पक्ष रहेगा।
- अतः यह अनुबंध लेख मुझ किरायेदार ने अपनी स्वेच्छा से सोच-समझकर, स्वस्थ शारीरिक व मानसिक अवस्था में निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निर्धारित किया, सो सही, ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें।

इन्दौर, दिनांक :

साक्षीगण :-

1. हस्ताक्षर :-

नाम

पता

अमित मलवी
इन्दौर



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (किरायेदार)

Ghangyan

2. हस्ताक्षर :-

नाम

पता

हमाम हुली
इन्दौर

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (आफिस मालिक)

Al

DEEPAK KAILASH JAISWAL
ADVOCATE & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE, M.P.